


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:संशोधन आदेश :-

कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी व्याख्याता स्कूल शिक्षा विषय इतिहास के संबंध में नियुक्ति आदेश एवं स्थायीकरण आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन एतद द्वारा जारी किया जाता है:-

विभाग का आदेशांक व दिनांक	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रस्तावित संशोधन
संस्था/सी-2 / 31807/96 दि 25.10.1996	श्री लच्छाराम सियाग, व्याख्याता, इतिहास	राउमावि कल्याणपुर-बाड़मेर	20-08-1967	नियुक्ति संबंधी आदेश दिनांक 25.10.1996 आदेश संख्या 03 क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक श्री लच्छाराम के संदर्भ में कॉलम संख्या 04 में अंकित जन्मतिथि 02.08.67 के स्थान पर 20.08.1967 पढ़ी जावे।
संस्था/सी-2 / स्थायीकरण/इतिहास/95 दिनांक 08.09.1999	श्री लच्छाराम सियाग, व्याख्याता, इतिहास	राउमावि कल्याणपुर-बाड़मेर	20-08-1967	स्थायीकरण संबंधी आदेश दिनांक 08.09.1999 आदेश संख्या 03 क्रम संख्या 08 पर अंकित कार्मिक श्री लच्छाराम के संदर्भ में कॉलम संख्या 03 में अंकित जन्मतिथि 02.08.67 के स्थान पर 20.08.1967 पढ़ी जावे।

आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/आ संशो/2017

दिनांक:- 27-09-2017

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
- 5 संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है, कि इस आदेश की प्रति संबंधित कार्मिक को उपलब्ध करवाकर प्राप्ति से अवगत करवाएँ।
- 6 संबंधित प्राध्यापक-द्वारा प्रधानाचार्य।
- 7 अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन, कार्यालय हाजा।
- 8 भिजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर